International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय समावेशन: एक मूल्यांकन

डॉ. इंद्र सिंह

भगवान देवी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज, रामपुर (उत्तर प्रदेश)
Indrasingh2508@gmail.com

सारांश

भारत में वित्तीय समावेशन की नीति लंबे समय तक बैंक शाखाओं के विस्तार पर टिकी रही, किंतु ग्रामीण महिलाएँ इस विस्तार के बाद भी औपचारिक बैंकिंग से बड़ी संख्या में बाहर रहीं। अगस्त 2014 में आरंभ प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने शून्य शेष वाले मूल बचत खाते, रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा के माध्यम से इस बहिष्करण को सीधे लक्ष्य बनाया। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर यह परखता है कि इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन को किस सीमा तक आगे बढ़ाया है और पहुँच तथा वास्तविक उपयोग के बीच कितना अंतर शेष है। अध्ययन में वित्त मंत्रालय (2021–2026) के वार्षिक प्रगति आँकड़ों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4 एवं 5), विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक का उपयोग किया गया है। विश्लेषण हेतु चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, रैखिक प्रवृत्ति प्रतिगमन तथा पियर्सन सहसंबंध गुणांक अपनाए गए हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि अगस्त 2021 से अगस्त 2026 के बीच महिला खाताधारकों की संख्या 23.87 करोड़ से बढ़कर 32.92 करोड़ हो गई (वार्षिक चक्रवृद्धि दर 6.64 प्रतिशत), जबकि कुल जमा राशि 16.70 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। एनएफएचएस के अनुसार स्वयं उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते वाली ग्रामीण महिलाओं का अनुपात 48.5 प्रतिशत से बढ़कर 77.4 प्रतिशत हो गया। फिर भी निष्क्रिय खातों, सीमित मोबाइल पहुँच और कम डिजिटल लेन-देन के कारण ग्रामीण महिलाओं का समावेशन अभी मुख्यतः 'खाता स्वामित्व' के स्तर पर है, 'सक्रिय उपयोग' के स्तर पर नहीं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि योजना ने पहुँच की खाई लगभग पाट दी है, पर उपयोग की खाई पाटने के लिए वित्तीय साक्षरता, महिला बैंक मित्रों और महिलाओं के नाम से लक्षित ऋण उत्पादों पर नीतिगत ध्यान आवश्यक है।

मुख्य शब्द: प्रधानमंत्री जन-धन योजना, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, लैंगिक अंतराल

1. प्रस्तावना

किसी व्यक्ति के लिए बैंक खाता केवल पैसा रखने की जगह नहीं होता। यह बचत को सुरक्षित रखने, सरकारी सहायता सीधे प्राप्त करने, आकस्मिक जरूरत पर ऋण लेने और बीमा तक पहुँचने का प्रवेश द्वार है। वित्तीय समावेशन पर गठित रंगराजन समिति ने इसे कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों तक उचित लागत पर समय से वित्तीय सेवाएँ और पर्याप्त ऋण पहुँचाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया था (वित्तीय समावेशन समिति, 2008)। इस परिभाषा में 'पहुँच' और 'उपयोग' दोनों निहित हैं, और यही दोहरा आयाम इस शोध पत्र की धुरी है।

ग्रामीण भारत की महिलाएँ इस प्रक्रिया में सबसे पीछे रहीं। कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्यमों में उनका श्रम बड़ा है, पर आय पर नियंत्रण प्रायः परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में रहा है। विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स 2014 के अनुसार भारत में केवल 43 प्रतिशत महिलाओं के पास किसी वित्तीय संस्था में खाता था और पुरुषों से उनका अंतर लगभग 20 प्रतिशत अंक था (डेमिर्गुच-कुंट एवं अन्य, 2022)। ऐसी स्थिति में महिलाओं की बचत अनौपचारिक रूप में घर पर रहती थी, जो चोरी, पारिवारिक दबाव और मुद्रास्फीति से असुरक्षित थी।

इसी पृष्ठभूमि में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना आरंभ हुई। योजना का लक्ष्य प्रत्येक बैंक-रहित वयस्क के लिए एक मूल बचत बैंक जमा खाता खोलना था। बारह वर्ष बाद, 19 अगस्त 2026 तक इसके अंतर्गत 59.09 करोड़ खाते खुल चुके हैं, जिनमें 32.92 करोड़ खाते महिलाओं के हैं (वित्त मंत्रालय, 2026)। ये आँकड़े प्रभावशाली हैं, पर किसी नीति का मूल्यांकन केवल खातों की संख्या से नहीं हो सकता। प्रश्न यह है कि क्या इन खातों में धन आ-जा रहा है, क्या महिलाएँ इन्हें स्वयं संचालित कर रही हैं, और क्या ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं के बीच की खाई सचमुच घटी है। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय आँकड़ों के आधार पर खोजता है।

2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना: संक्षिप्त परिचय

पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में तैयार किया गया। इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की बाध्यता नहीं है और खाता खोलने या रखरखाव का कोई शुल्क नहीं लगता। योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं (वित्त मंत्रालय, 2025):

- शून्य शेष पर मूल बचत खाता, जिस पर सामान्य बचत खाते की दर से ब्याज मिलता है।
- निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड, जिसके साथ ₹1 लाख का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा मिलता है; 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए यह राशि ₹2 लाख है।
- पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना और मुद्रा ऋण से जुड़ने की पात्रता।

जन-धन खाता, आधार और मोबाइल (जैम त्रयी) के जुड़ने से सरकारी सहायता बिचौलियों के बिना लाभार्थी तक पहुँचने लगी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत महिला जन-धन खाताधारकों के खातों में तीन माह तक ₹500 प्रतिमाह जमा किए गए और कुल ₹30,945 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुँचे (वित्त मंत्रालय, 2021)। यह पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने अपने नाम के खाते में सीधे नकद सहायता प्राप्त की।

3. साहित्य समीक्षा

वित्तीय समावेशन को मापने का एक आरंभिक व्यवस्थित प्रयास सरमा (2008) ने किया, जिन्होंने पहुँच, उपलब्धता और उपयोग के तीन आयामों पर आधारित बहुआयामी सूचकांक प्रस्तावित किया। बाद के अध्ययन में सरमा एवं पाइस (2011) ने देशों के बीच तुलना कर पाया कि मानव विकास का स्तर और वित्तीय समावेशन साथ-साथ चलते हैं, तथा आय असमानता, निरक्षरता और भौतिक अवसंरचना की कमी समावेशन को सीमित करती है। इन्हीं आयामों की झलक भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में दिखती है, जिसमें पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता को अलग-अलग भार दिया गया है (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2023)।

महिलाओं के संदर्भ में कबीर (1999) का सशक्तिकरण ढाँचा आज भी मूल आधार है। उनके अनुसार सशक्तिकरण तीन परस्पर जुड़े घटकों से बनता है: संसाधन, अभिकर्तृत्व (निर्णय लेने की क्षमता) और उपलब्धियाँ। बैंक खाता एक संसाधन है, पर जब तक महिला उस पर नियंत्रण न रखे, वह अभिकर्तृत्व में नहीं बदलता। फील्ड एवं अन्य (2021) ने मध्य प्रदेश में किए गए एक क्षेत्रीय प्रयोग में दिखाया कि जब मनरेगा की मजदूरी महिलाओं के अपने बैंक खाते में जमा की गई और उन्हें खाते के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया, तो उनकी श्रम-बल भागीदारी बढ़ी और काम करने वाली महिलाओं के प्रति पारिवारिक मान्यताएँ भी नरम हुईं। यह अध्ययन सिद्ध करता है कि खाते पर महिला का नियंत्रण अपने-आप में आर्थिक परिणाम पैदा कर सकता है।

परंतु केवल खाता खोल देने से उपयोग सुनिश्चित नहीं होता। डुपास एवं अन्य (2018) ने युगांडा, मलावी और चिली में निःशुल्क बचत खाते उपलब्ध कराने का प्रयोग किया और पाया कि अधिकांश लोगों ने खाते का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं किया; बचत में समग्र वृद्धि नगण्य रही। भारत के संदर्भ में अग्रवाल एवं अन्य (2017) ने जन-धन योजना के आरंभिक वर्षों का विश्लेषण कर बताया कि नए खातों का उपयोग समय के साथ बढ़ा, विशेषकर जहाँ बैंक शाखाओं की पहुँच बेहतर थी, यद्यपि बहुत से खाते आरंभ में निष्क्रिय रहे।

घोष एवं विनोद (2017) ने भारतीय पारिवारिक सर्वेक्षण आँकड़ों से पाया कि महिला-प्रधान परिवारों की औपचारिक वित्त तक पहुँच पुरुष-प्रधान परिवारों से कम है, और यह अंतर केवल आय या शिक्षा से पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता; सामाजिक बाधाएँ भी इसमें भूमिका निभाती हैं। डेमिर्गुच-कुंट, क्लैपर एवं सिंगर (2017) की समीक्षा के अनुसार डिजिटल भुगतान और सरकारी अंतरण को खातों से जोड़ना उपयोग बढ़ाने का प्रभावी मार्ग है, क्योंकि इससे खाता किसी नियमित आवश्यकता से जुड़ जाता है। हाल के ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 ने भारत को ऐसे देश के रूप में चिह्नित किया है जहाँ खाता स्वामित्व में स्त्री-पुरुष समान हैं, पर निष्क्रिय खातों का अनुपात अन्य निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों की तुलना में कहीं अधिक है (क्लैपर एवं अन्य, 2025)।

3.1 शोध अंतराल

उपलब्ध साहित्य में या तो जन-धन योजना के राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों का वर्णन मिलता है, या महिलाओं के वित्तीय व्यवहार पर सूक्ष्म-स्तरीय प्रयोग। योजना के बारह वर्ष पूरे होने के बाद के नवीनतम सरकारी आँकड़ों (2026), एनएफएचएस-5 के ग्रामीण-शहरी विभाजन, ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 और रिज़र्व बैंक के सूचकांक को एक साथ रखकर ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में 'पहुँच बनाम उपयोग' का समेकित मूल्यांकन हिंदी शोध साहित्य में कम उपलब्ध है। प्रस्तुत अध्ययन इसी अंतराल को भरने का प्रयास है।

4. शोध के उद्देश्य

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खातों, महिला खाताधारकों और जमा राशि की प्रगति का अध्ययन करना।
2. महिला खातों, कुल जमा राशि तथा प्रति खाता औसत जमा की वृद्धि दर एवं प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के बैंक खाता स्वामित्व में हुए परिवर्तन की तुलना करना।
4. वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल तथा 'पहुँच' और 'उपयोग' के बीच के अंतर का मूल्यांकन करना।
5. ग्रामीण महिलाओं के सार्थक वित्तीय समावेशन हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध परिकल्पनाएँ

- **H_{01}:** जन-धन योजना के अंतर्गत महिला खाताधारकों की संख्या में अध्ययन अवधि में कोई सार्थक रैखिक वृद्धि नहीं हुई है।
- **H_{02}:** जन-धन खातों की संख्या और उनमें कुल जमा राशि के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
- **H_{03}:** कुल जन-धन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी में अध्ययन अवधि में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ है।

6. शोध प्रविधि

शोध प्रकार: प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है।

आँकड़ों के स्रोत: (i) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अगस्त में जारी पीएमजेडीवाई प्रगति आँकड़े (2021 से 2026); (ii) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे (2015–16) एवं पाँचवें (2019–21) चरण; (iii) विश्व बैंक का ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस (2014, 2017, 2021 एवं 2025 संस्करण); (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक; तथा (v) नाबार्ड का अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021–22।

अध्ययन अवधि: योजना के मुख्य आँकड़ों के लिए अगस्त 2021 से अगस्त 2026 (छह वार्षिक अवलोकन); तुलना के लिए मार्च 2015 को आधार बिंदु माना गया है।

सांख्यिकीय उपकरण: प्रतिशत, निरपेक्ष परिवर्तन, वार्षिक वृद्धि दर, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), रैखिक प्रवृत्ति प्रतिगमन तथा पियर्सन सहसंबंध गुणांक। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की गणना निम्न सूत्र से की गई है:

$$\text{CAGR} = \left[\left(Y_t / Y_0\right)^{(1/n)} - 1 \right] \times 100$$

जहाँ Y_0 आधार वर्ष (2021) का मान, Y_t अंतिम वर्ष (2026) का मान और n वर्षों की संख्या (5) है। प्रवृत्ति विश्लेषण हेतु $Y = a + bt$ समीकरण अपनाया गया, जहाँ $t = 1$ (2021) से 6 (2026) तक समय चर है। परिकल्पनाओं का परीक्षण 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर किया गया है। सभी गणनाएँ पायथन (SciPy) में की गई हैं।

7. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

7.1 जन-धन योजना की प्रगति

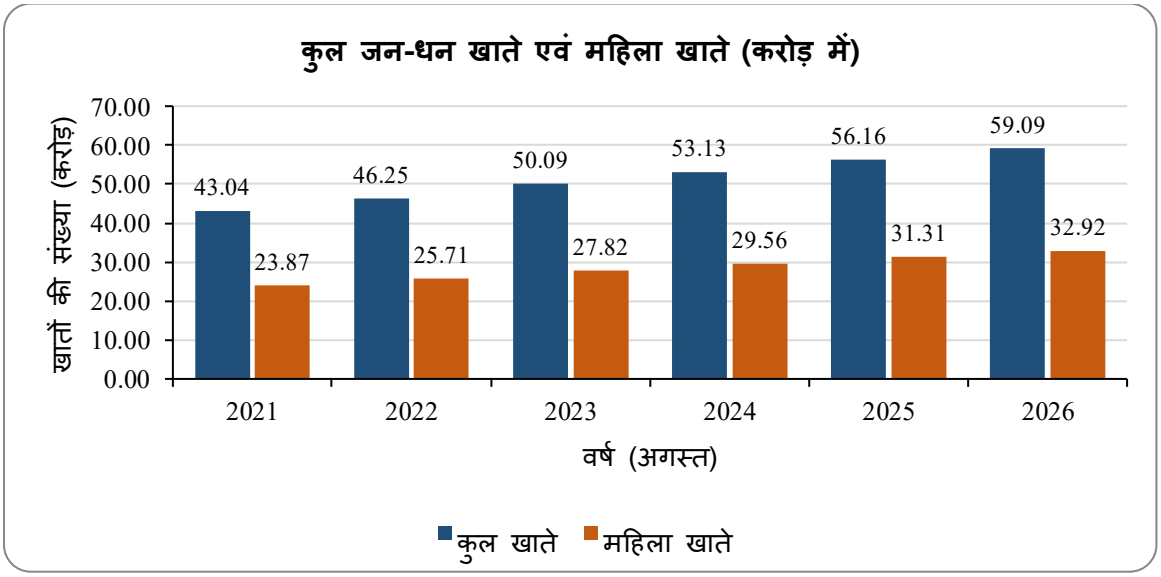
तालिका 1 में अगस्त 2021 से अगस्त 2026 तक योजना के प्रमुख संकेतक प्रस्तुत हैं। इस अवधि में कुल खाते 43.04 करोड़ से बढ़कर 59.09 करोड़ हुए, अर्थात लगभग 16 करोड़ नए खाते जुड़े। महिला खाताधारकों की संख्या 23.87 करोड़ से 32.92 करोड़ पहुँची और कुल खातों में उनकी हिस्सेदारी लगातार 55 प्रतिशत से ऊपर बनी रही।

तालिका 1: प्रधानमंत्री जन-धन योजना की प्रगति (अगस्त 2021 – अगस्त 2026)

वर्ष (अगस्त)	कुल खाते (करोड़)	महिला खाते (करोड़)	महिला हिस्सेदारी (%)	ग्रामीण/अर्ध-शहरी खाते (%)	कुल जमा (₹ लाख करोड़)	औसत जमा प्रति खाता (₹)
2021	43.04	23.87	55.46	66.69	1.46	3,398
2022	46.25	25.71	55.59	66.79	1.74	3,761
2023	50.09	27.82	55.54	67.00	2.03	4,063
2024	53.13	29.56	55.64	66.60	2.31	4,352
2025	56.16	31.31	55.75	66.70	2.68	4,768
2026	59.09	32.92	55.71	78.00*	3.17	5,356

स्रोत: वित्त मंत्रालय (2021, 2022, 2023, 2024क, 2025, 2026)। महिला हिस्सेदारी की गणना शोधकर्ता द्वारा की गई है।

चित्र 1 कुल खातों और महिला खातों की साथ-साथ बढ़ती प्रवृत्ति दिखाता है। दोनों स्तंभों के बीच का अनुपात लगभग स्थिर है, जिससे स्पष्ट है कि योजना में महिलाओं का अनुपात आरंभ में जो स्तर बना, वह बाद के वर्षों में भी बना रहा। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के खातों का अनुपात 2021 से 2025 तक लगभग दो-तिहाई रहा, जो दर्शाता है कि योजना का केंद्र ग्रामीण भारत ही है।



चित्र 1: जन-धन योजना के अंतर्गत कुल एवं महिला खातों की प्रवृत्ति

स्रोत: तालिका 1 के आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित।

7.2 वृद्धि दर विश्लेषण

तालिका 2 में प्रमुख संकेतकों की निरपेक्ष वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दी गई है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कुल जमा राशि की वृद्धि दर (16.70 प्रतिशत वार्षिक) खातों की वृद्धि दर (6.54 प्रतिशत) की लगभग ढाई गुना है। इसका अर्थ है कि नए खाते जुड़ने के साथ-साथ पुराने खातों में भी धन बढ़ रहा है।

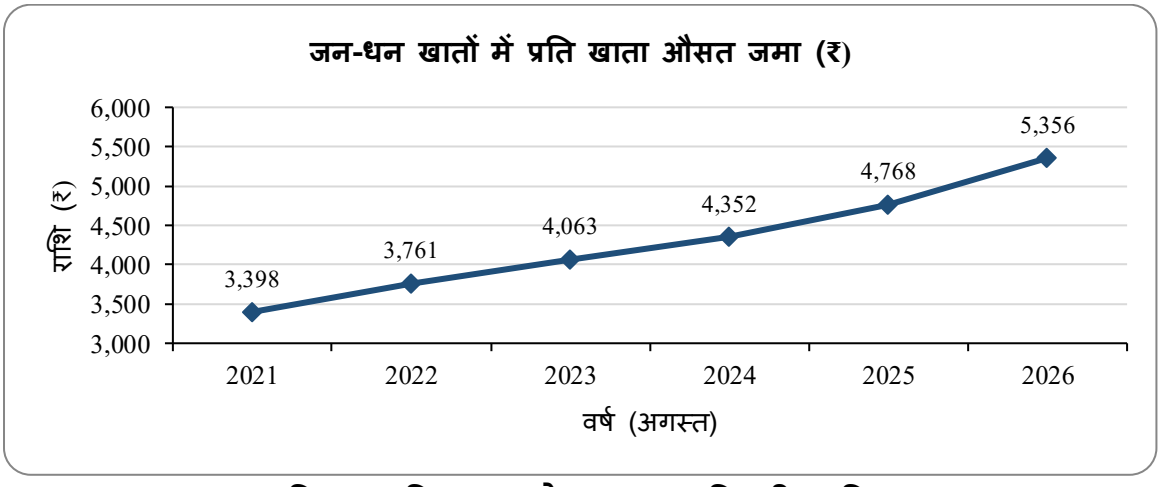
तालिका 2: प्रमुख संकेतकों की वृद्धि दर (अगस्त 2021 से अगस्त 2026)

संकेतक	2021	2026	निरपेक्ष वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	CAGR (%)
कुल खाते (करोड़)	43.04	59.09	16.05	37.29	6.54
महिला खाते (करोड़)	23.87	32.92	9.05	37.91	6.64
कुल जमा (₹ लाख करोड़)	1.46	3.17	1.70	116.45	16.70
औसत जमा प्रति खाता (₹)	3,398	5,356	1,958	57.62	9.53

स्रोत: तालिका 1 के आँकड़ों से शोधकर्ता द्वारा परिकलित।

महिला खातों की चक्रवृद्धि दर (6.64 प्रतिशत) कुल खातों की दर (6.54 प्रतिशत) से थोड़ी अधिक है, जिससे पता चलता है कि नए खातों में महिलाओं का अनुपात मौजूदा औसत से कुछ ऊपर रहा। वर्षवार देखें तो महिला खातों की वार्षिक वृद्धि 2022 में 7.71 प्रतिशत और 2023 में 8.21 प्रतिशत थी, जो 2026 तक घटकर 5.14 प्रतिशत रह गई। यह गिरावट स्वाभाविक है, क्योंकि बैंक-रहित वयस्कों की संख्या घटने के साथ नए खाते खोलने की गुंजाइश सीमित होती जाती है।

प्रति खाता औसत जमा मार्च 2015 के ₹1,065 से बढ़कर अगस्त 2026 में ₹5,356 हो गई (वित्त मंत्रालय, 2024क, 2026)। चित्र 2 में 2021 के बाद की इस वृद्धि को देखा जा सकता है। मंत्रालय इसे बचत की आदत का संकेत मानता है, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि औसत में डीबीटी से आई राशि भी शामिल है और यह आँकड़ा पुरुष और महिला खातों को अलग नहीं करता।



चित्र 2: प्रति खाता औसत जमा राशि की प्रवृत्ति

स्रोत: तालिका 1 के आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित।

7.3 प्रवृत्ति विश्लेषण एवं परिकल्पना परीक्षण

परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु रैखिक प्रवृत्ति प्रतिगमन और पियर्सन सहसंबंध का प्रयोग किया गया। परिणाम तालिका 3 में हैं। स्वतंत्रता की कोटि 4 पर 5 प्रतिशत स्तर का क्रांतिक t-मान 2.776 है।

तालिका 3: परिकल्पना परीक्षण के परिणाम

परिकल्पना	परीक्षण	सांख्यिकीय मान	p-मान	निर्णय
H_{01}: महिला खातों में रैखिक वृद्धि नहीं	रैखिक प्रवृत्ति प्रतिगमन	b = 1.823 करोड़/वर्ष; t = 47.61; R^2 = 0.998	< 0.001	अस्वीकृत
H_{02}: खातों व जमा राशि में सहसंबंध नहीं	पियर्सन सहसंबंध	r = 0.988	< 0.001	अस्वीकृत
H_{03}: महिला हिस्सेदारी में परिवर्तन नहीं	रैखिक प्रवृत्ति प्रतिगमन	b = 0.053 प्रतिशत अंक/वर्ष; t = 4.34; R^2 = 0.825	0.012	अस्वीकृत (परिवर्तन नगण्य)

स्रोत: तालिका 1 के आँकड़ों से शोधकर्ता द्वारा परिकलित (n = 6, df = 4)।

H_{01} का परिणाम: महिला खातों का प्रवृत्ति समीकरण $Y = 22.15 + 1.823t$ प्राप्त हुआ। अर्थात अध्ययन अवधि में प्रति वर्ष औसतन 1.82 करोड़ महिला खाते जुड़े। t-मान (47.61) क्रांतिक मान से बहुत अधिक है और $R^2 = 0.998$ दर्शाता है कि समय के साथ वृद्धि लगभग पूर्णतः रैखिक रही। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

H_{02} का परिणाम: खातों की संख्या और कुल जमा राशि के बीच $r = 0.988$ का प्रबल धनात्मक सहसंबंध है, अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि दोनों चर समय के साथ बढ़ रहे हैं; इसलिए यह सहसंबंध साझा प्रवृत्ति को भी प्रतिबिंबित करता है और इसे कारण-परिणाम संबंध का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

H_{03} का परिणाम: महिलाओं की हिस्सेदारी 55.46 प्रतिशत (2021) से 55.71 प्रतिशत (2026) हुई। सांख्यिकीय रूप से यह परिवर्तन सार्थक है ($p = 0.012$), पर पाँच वर्षों में केवल 0.25 प्रतिशत अंक की वृद्धि व्यावहारिक दृष्टि से नगण्य है (विचरण गुणांक 0.19 प्रतिशत)। इसका निहितार्थ यह है कि योजना में महिलाओं का अनुपात एक स्थिर स्तर पर पहुँच चुका है; आगे सुधार का क्षेत्र संख्या नहीं, उपयोग है।

7.4 ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं का बैंक खाता स्वामित्व

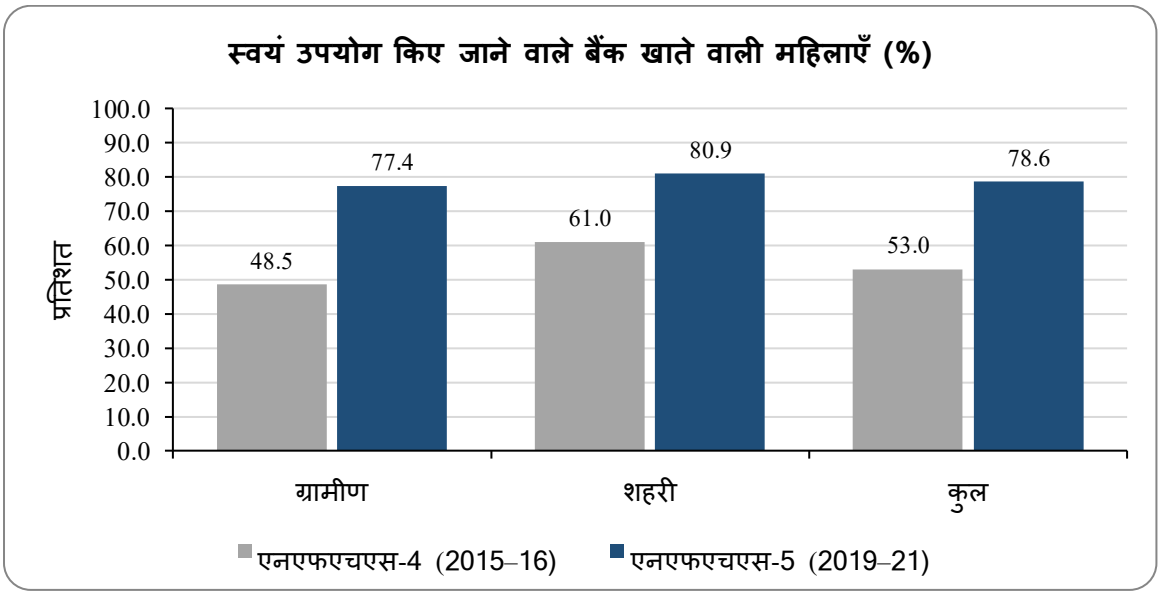
जन-धन योजना के आँकड़े खातों की संख्या बताते हैं, पर यह नहीं बताते कि खाता महिला स्वयं संचालित करती है या नहीं। इसके लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का संकेतक अधिक उपयुक्त है, जो 15–49 वर्ष की उन महिलाओं का प्रतिशत बताता है जिनके पास ऐसा बैंक या बचत खाता है जिसे वे स्वयं उपयोग करती हैं (तालिका 4)।

तालिका 4: स्वयं उपयोग किए जाने वाले बैंक/बचत खाते वाली महिलाएँ (15–49 वर्ष, प्रतिशत में)

क्षेत्र	एनएफएचएस-4 (2015–16)	एनएफएचएस-5 (2019–21)	परिवर्तन (प्रतिशत अंक)	सापेक्ष वृद्धि (%)
ग्रामीण	48.5	77.4	+28.9	59.6
शहरी	61.0	80.9	+19.9	32.6
कुल (भारत)	53.0	78.6	+25.6	48.3
शहरी–ग्रामीण अंतर	12.5	3.5	−9.0	—

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं आईसीएफ (2017, 2022)। परिवर्तन एवं सापेक्ष वृद्धि की गणना शोधकर्ता द्वारा।

तालिका 4 इस शोध पत्र का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ग्रामीण महिलाओं में स्वयं उपयोग किए जाने वाले खाते का अनुपात लगभग पाँच वर्षों में 28.9 प्रतिशत अंक बढ़ा, जबकि शहरी महिलाओं में यह वृद्धि 19.9 प्रतिशत अंक रही। परिणामस्वरूप शहरी-ग्रामीण अंतर 12.5 से घटकर केवल 3.5 प्रतिशत अंक रह गया। यह अवधि जन-धन योजना के सबसे सक्रिय वर्षों से मेल खाती है, इसलिए इस परिवर्तन में योजना की केंद्रीय भूमिका मानना तर्कसंगत है, यद्यपि आधार नामांकन, डीबीटी और स्वयं सहायता समूहों के बैंक संपर्क जैसे अन्य कारकों का योगदान भी इसमें शामिल है।



चित्र 3: एनएफएचएस-4 एवं एनएफएचएस-5 में महिलाओं के बैंक खाता स्वामित्व की तुलना

स्रोत: तालिका 4 के आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित।

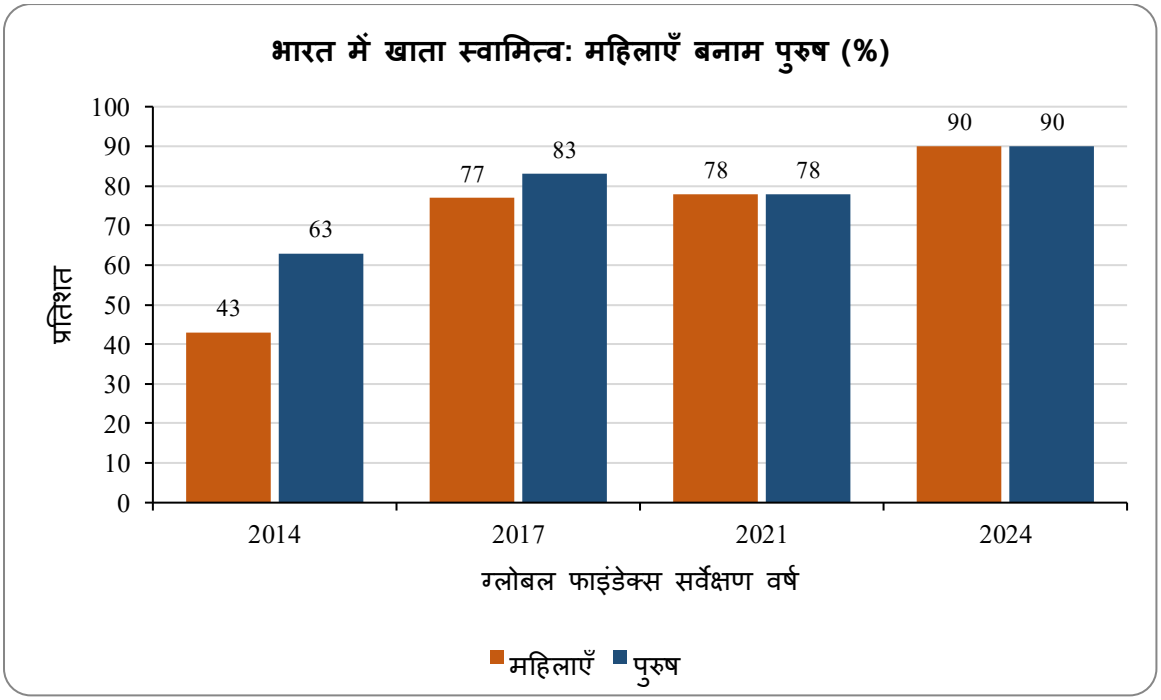
7.5 वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल

विश्व बैंक का ग्लोबल फाइंडेक्स 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय सर्वेक्षण है। तालिका 5 बताती है कि भारत में महिलाओं का खाता स्वामित्व 2014 के 43 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 77 प्रतिशत हो गया, और लैंगिक अंतर 20 से घटकर 6 प्रतिशत अंक रह गया (डेमिर्गुच-कुंट एवं अन्य, 2022)। 2021 तक यह अंतर समाप्त हो गया और 2024 के सर्वेक्षण में स्त्री और पुरुष दोनों का खाता स्वामित्व लगभग 90 प्रतिशत दर्ज हुआ (क्लैपर एवं अन्य, 2025)।

तालिका 5: भारत में लिंग के अनुसार वित्तीय खाता स्वामित्व (15+ आयु, प्रतिशत में)

सर्वेक्षण वर्ष	महिलाएँ	पुरुष	लैंगिक अंतर (प्रतिशत अंक)	कुल वयस्क
2014	43	63	20	53
2017	77	83	6	80
2021	78	78	0	78
2024	≈ 90	≈ 90	सांख्यिकीय रूप से नगण्य	≈ 90

स्रोत: डेमिर्गुच-कुंट एवं अन्य (2022); क्लैपर एवं अन्य (2025)। 2024 के मान रिपोर्ट में 'लगभग 90 प्रतिशत' के रूप में दिए गए हैं।



चित्र 4: ग्लोबल फाइंडेक्स के अनुसार खाता स्वामित्व में लैंगिक अंतराल

स्रोत: तालिका 5 के आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित।

स्वामित्व में समानता के बावजूद उपयोग में अंतर बना हुआ है। ग्लोबल फाइंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में खाताधारक महिलाओं में से 42 प्रतिशत के खाते निष्क्रिय थे, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 30 प्रतिशत था। 2024 के

सर्वेक्षण में निष्क्रियता घटी, फिर भी भारत में लगभग 16 प्रतिशत खाताधारकों के पास कोई सक्रिय खाता नहीं था, जबकि अन्य निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों का औसत केवल 4 प्रतिशत था (क्लैपर एवं अन्य, 2025)। इसी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि खाता होने पर भी महिलाएँ पुरुषों की तुलना में डिजिटल भुगतान कम करती हैं।

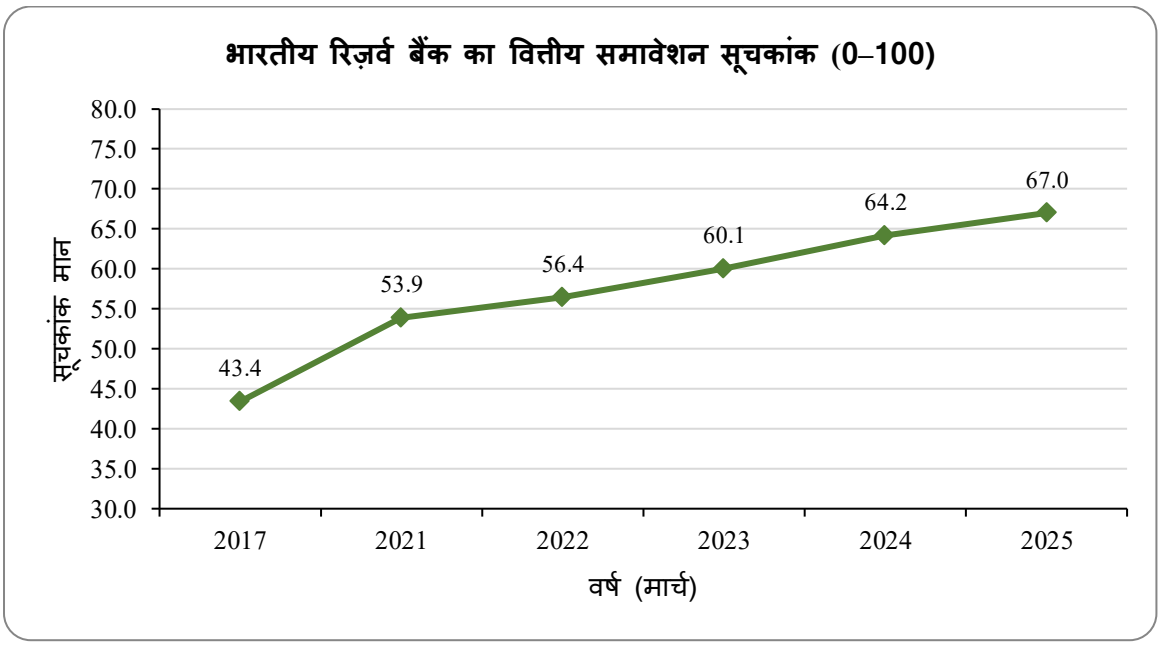
7.6 वित्तीय समावेशन सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों को समेटता है। इसमें पहुँच को 35 प्रतिशत, उपयोग को 45 प्रतिशत और गुणवत्ता को 20 प्रतिशत भार दिया गया है (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2023)। तालिका 6 के अनुसार सूचकांक मार्च 2017 के 43.4 से बढ़कर मार्च 2025 में 67.0 हो गया।

तालिका 6: भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक

वर्ष (मार्च)	2017	2021	2022	2023	2024	2025
सूचकांक मान	43.4	53.9	56.4	60.1	64.2	67.0
पिछले मान से परिवर्तन	—	+10.5 *	+2.5	+3.7	+4.1	+2.8

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (2023, 2025)। *2017 से 2021 के बीच चार वर्षों का संचयी परिवर्तन।



चित्र 5: वित्तीय समावेशन सूचकांक की प्रवृत्ति

स्रोत: तालिका 6 के आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित। ध्यान दें: 2018–2020 के मान प्रकाशित नहीं हुए, अतः श्रेणी अक्ष समान अंतराल का नहीं है।

रिज़र्व बैंक के अनुसार 2023 और 2025 दोनों वर्षों में सुधार का मुख्य स्रोत उपयोग और गुणवत्ता आयाम रहे (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2023, 2025)। यह संकेत है कि भारत का वित्तीय समावेशन अब पहुँच से आगे बढ़कर उपयोग की ओर मुड़ रहा है, यद्यपि सूचकांक लिंग-आधारित विभाजन उपलब्ध नहीं कराता।

7.7 पहुँच और उपयोग के बीच का अंतराल

विभिन्न स्रोतों के संकेतकों को एक साथ रखने पर ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन की वास्तविक तस्वीर उभरती है (तालिका 7)। पहुँच के संकेतक 75 से 90 प्रतिशत के बीच हैं, जबकि उपयोग और क्षमता के संकेतक इससे काफी नीचे हैं।

तालिका 7: पहुँच एवं उपयोग संकेतकों का तुलनात्मक चित्र

आयाम	संकेतक	मान (%)	स्रोत
पहुँच	खाता स्वामित्व, महिलाएँ (15+, 2024)	≈ 90	क्लैपर एवं अन्य (2025)
पहुँच	स्वयं उपयोग वाला बैंक खाता, ग्रामीण महिलाएँ (2019–21)	77.4	आईआईपीएस एवं आईसीएफ (2022)
क्षमता	स्वयं उपयोग वाला मोबाइल फोन, ग्रामीण महिलाएँ (2019–21)	46.6	आईआईपीएस एवं आईसीएफ (2022)
उपयोग	निष्क्रिय खाते वाली महिला खाताधारक (2021)	42	डेमिर्गुच-कुंट एवं अन्य (2022)
उपयोग	निष्क्रिय (परिचालनरहित) जन-धन खाते (अगस्त 2024)	≈ 20	वित्त मंत्रालय (2024क)
क्षमता	अच्छी वित्तीय साक्षरता वाले ग्रामीण उत्तरदाता (2021–22)	51.3	नाबार्ड (2024)

स्रोत: तालिका में उल्लिखित स्रोतों से शोधकर्ता द्वारा संकलित। नोट: विभिन्न सर्वेक्षणों की परिभाषाएँ, आयु-वर्ग और वर्ष भिन्न हैं, अतः ये मान केवल प्रवृत्ति समझने हेतु हैं, सीधे घटाने हेतु नहीं।

तालिका 7 से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, खाता अब ग्रामीण महिला के लिए दुर्लभ वस्तु नहीं रहा। दूसरी, लगभग आधी ग्रामीण महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन नहीं है, जबकि यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग का पूरा ढाँचा फोन पर टिका है। तीसरी, बड़ी संख्या में खाते केवल डीबीटी प्राप्त करने और उसे तुरंत निकालने तक सीमित हैं। इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं का समावेशन 'खाता है' की अवस्था से 'खाता चलता है' की अवस्था तक पूरी तरह नहीं पहुँचा है।

ऋण के मोर्चे पर स्थिति अपेक्षाकृत आशाजनक है। नवंबर 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़ (69 प्रतिशत) महिलाओं को दिए गए (वित्त मंत्रालय, 2024ख)। जन-धन खाता इन ऋणों के लिए पहला बैंकिंग संपर्क बना। फिर भी अधिकांश मुद्रा ऋण छोटे 'शिशु' श्रेणी के होते हैं, अतः इस आँकड़े को उद्यमशीलता के गहरे विस्तार का प्रमाण मानने से पहले ऋण राशि के वितरण का अलग अध्ययन आवश्यक है।

8. प्रमुख निष्कर्ष

1. जन-धन योजना ने बारह वर्षों में 59.09 करोड़ खाते खोले, जिनमें लगभग 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। 2021–2026 के बीच प्रति वर्ष औसतन 1.82 करोड़ नए महिला खाते जुड़े।
2. कुल जमा राशि 16.70 प्रतिशत और प्रति खाता औसत जमा 9.53 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ी। जमा राशि की वृद्धि खातों की वृद्धि से कहीं तेज़ रही, जो खातों के बढ़ते उपयोग का संकेत है।

3. स्वयं उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते वाली ग्रामीण महिलाओं का अनुपात 48.5 से बढ़कर 77.4 प्रतिशत हुआ और शहरी-ग्रामीण अंतर 12.5 से घटकर 3.5 प्रतिशत अंक रह गया।
4. खाता स्वामित्व में लैंगिक अंतराल 2014 के 20 प्रतिशत अंक से घटकर 2021 तक समाप्त हो गया।
5. योजना में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 55.6 प्रतिशत पर स्थिर हो चुकी है; आगे की प्रगति का मापदंड संख्या के स्थान पर उपयोग होना चाहिए।
6. निष्क्रिय खाते, ग्रामीण महिलाओं की कम मोबाइल पहुँच और डिजिटल भुगतान में लैंगिक अंतर अभी प्रमुख बाधाएँ हैं। अतः पहुँच की खाई लगभग पाट दी गई है, किंतु उपयोग की खाई शेष है।

9. सुझाव

1. **महिला बैंक मित्रों का विस्तार:** स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित महिलाओं को व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र/बीसी सखी) के रूप में अधिक संख्या में नियुक्त किया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाएँ परिचित और भरोसेमंद व्यक्ति के माध्यम से लेन-देन कर सकें।
2. **निष्क्रिय खातों का पुनर्सक्रियण:** परिचालनरहित खातों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित शिविर लगाए जाएँ, जिनमें पुनः केवाईसी के साथ खाते के उपयोग की व्यावहारिक जानकारी दी जाए।
3. **डिजिटल साक्षरता एवं मोबाइल पहुँच:** महिलाओं के नाम पर मोबाइल कनेक्शन और सरल भाषा में यूपीआई प्रशिक्षण को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।
4. **लक्षित बचत एवं ऋण उत्पाद:** छोटी आवर्ती जमा, फसल-चक्र के अनुरूप किस्तें और ओवरड्राफ्ट सुविधा के सरल उपयोग से जन-धन खाते को केवल डीबीटी प्राप्ति का माध्यम बने रहने से आगे ले जाया जाए।
5. **लिंग-विभाजित आँकड़ों का प्रकाशन:** जमा राशि, लेन-देन की आवृत्ति और निष्क्रियता के आँकड़े लिंग एवं ग्रामीण-शहरी आधार पर नियमित रूप से प्रकाशित किए जाएँ, ताकि नीति का मूल्यांकन वास्तविक उपयोग के आधार पर हो सके।
6. **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़:** पात्र महिला खाताधारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना से स्वतः जोड़ने के अभियान चलाए जाएँ।

10. शोध की सीमाएँ एवं भावी शोध की दिशा

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। जन-धन योजना के आधिकारिक आँकड़े महिला खातों की संख्या तो देते हैं, पर महिला खातों में जमा राशि या ग्रामीण महिला खातों का अलग विवरण नहीं देते। प्रवृत्ति विश्लेषण केवल छह वार्षिक अवलोकनों पर आधारित है, इसलिए परिणाम संकेतात्मक हैं; समय के साथ बढ़ने वाले चरों के बीच उच्च सहसंबंध साझा प्रवृत्ति का परिणाम भी हो सकता है। विभिन्न सर्वेक्षणों के आयु-वर्ग और परिभाषाएँ भिन्न हैं। भावी शोध में किसी चयनित जिले की ग्रामीण महिला जन-धन खाताधारकों पर प्राथमिक सर्वेक्षण कर खाते के उपयोग, निर्णय-क्षमता और घरेलू कल्याण पर इसके प्रभाव का प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है।

11. उपसंहार

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन की बहस का स्वरूप बदल दिया है। एक दशक पहले प्रश्न यह था कि ग्रामीण महिलाओं को बैंक तक कैसे लाया जाए; आज प्रश्न यह है कि जो खाता उनके पास है, उसे उनके आर्थिक जीवन का सक्रिय औज़ार कैसे बनाया जाए। प्रस्तुत अध्ययन के आँकड़े दिखाते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर काफी हद तक मिल चुका है: ग्रामीण-शहरी और स्त्री-पुरुष दोनों अंतर उल्लेखनीय रूप से घटे हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर

अभी अधूरा है। कबीर (1999) के ढाँचे में कहें तो खाता एक 'संसाधन' बन चुका है, पर उसे 'अभिकर्तृत्व' और 'उपलब्धि' में बदलने के लिए डिजिटल पहुँच, वित्तीय साक्षरता और महिलाओं के अनुरूप वित्तीय उत्पादों की आवश्यकता है। योजना का अगला चरण खातों की गिनती से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए कि ग्रामीण महिलाएँ इन खातों से कितनी बार, कितनी स्वतंत्रता से और किन उद्देश्यों के लिए लेन-देन करती हैं।

संदर्भ सूची:

1. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं आईसीएफ. (2017). *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4), 2015–16: भारत*. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान. http://rchiips.org/nfhs/
2. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं आईसीएफ. (2022). *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5), 2019–21: भारत* (खंड 1). अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान. http://rchiips.org/nfhs/
3. अग्रवाल, एस., अलोक, एस., घोष, पी., घोष, एस., पिस्कोर्स्की, टी., एवं सेरू, ए. (2017). *बैंक-रहितों का बैंकीकरण: 25.5 करोड़ नए बैंक खाते वित्तीय पहुँच के बारे में क्या बताते हैं?* (कोलंबिया बिज़नेस स्कूल शोध पत्र संख्या 17-12). सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क.
4. कबीर, एन. (1999). संसाधन, अभिकर्तृत्व, उपलब्धियाँ: महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार. *डेवलपमेंट एंड चेंज*, *30*(3), 435–464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125
5. क्लैपर, एल., सिंगर, डी., स्टारिटा, एल., एवं नॉरिस, ए. (2025). *ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2025: डिजिटल अर्थव्यवस्था में कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन*. विश्व बैंक. https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
6. घोष, एस., एवं विनोद, डी. (2017). महिलाओं के वित्तीय समावेशन को क्या सीमित करता है? भारतीय सूक्ष्म आँकड़ों से साक्ष्य. *वर्ल्ड डेवलपमेंट*, *92*, 60–81. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.011
7. डुपास, पी., कार्लन, डी., रॉबिन्सन, जे., एवं उबफल, डी. (2018). बैंक-रहितों का बैंकीकरण? तीन देशों से साक्ष्य. *अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: एप्लाइड इकोनॉमिक्स*, *10*(2), 257–297. https://doi.org/10.1257/app.20160597
8. डेमिर्गुच-कुंट, ए., क्लैपर, एल., एवं सिंगर, डी. (2017). *वित्तीय समावेशन एवं समावेशी विकास: हाल के अनुभवजन्य साक्ष्यों की समीक्षा* (नीति शोध कार्य-पत्र 8040). विश्व बैंक. https://doi.org/10.1596/1813-9450-8040
9. डेमिर्गुच-कुंट, ए., क्लैपर, एल., सिंगर, डी., एवं अंसार, एस. (2022). *ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021: कोविड-19 के दौर में वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान एवं आर्थिक लचीलापन*. विश्व बैंक. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4
10. फील्ड, ई., पांडे, आर., रिगोल, एन., शेनर, एस., एवं ट्रॉयर मूर, सी. (2021). उसके अपने खाते में: महिलाओं के वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने का श्रम आपूर्ति एवं लैंगिक मान्यताओं पर प्रभाव. *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, *111*(7), 2342–2375. https://doi.org/10.1257/aer.20200705
11. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2023, 15 सितंबर). *मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक* [प्रेस विज्ञप्ति]. https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=56380
12. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2025, 22 जुलाई). *मार्च 2025 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक* [प्रेस विज्ञप्ति]. https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/press-releases/financial-inclusion-index-for-march-2025

13. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक. (2024). *अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (नैफिस) 2021–22*. नाबार्ड.
14. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2021, 28 अगस्त). *प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सफल कार्यान्वयन के सात वर्ष* [प्रेस विज्ञप्ति]. पत्र सूचना कार्यालय. https://pib.gov.in
15. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2022, अगस्त). *प्रधानमंत्री जन-धन योजना: पिछले 8 वर्षों में 46 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले गए* [व्याख्यात्मक दस्तावेज़]. पत्र सूचना कार्यालय. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/aug/doc202283097701.pdf
16. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2023, 28 अगस्त). *प्रधानमंत्री जन-धन योजना के नौ वर्ष* [व्याख्यात्मक दस्तावेज़]. पत्र सूचना कार्यालय. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/aug/doc2023828246001.pdf
17. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2024क, 28 अगस्त). *प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सफल कार्यान्वयन का एक दशक* [प्रेस विज्ञप्ति]. पत्र सूचना कार्यालय. https://pib.gov.in
18. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2024ख, 28 अगस्त). *परिवर्तन का दशक: जन-धन योजना ने महिलाओं को वित्तीय रूप से कैसे सशक्त किया* [व्याख्यात्मक दस्तावेज़]. पत्र सूचना कार्यालय. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/aug/doc2024828382101.pdf
19. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2025, 27 अगस्त). *प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 11 वर्ष* [व्याख्यात्मक दस्तावेज़]. पत्र सूचना कार्यालय. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025827621301.pdf
20. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2026, 27 अगस्त). *प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 12 वर्ष* [व्याख्यात्मक दस्तावेज़]. पत्र सूचना कार्यालय. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/aug/doc_9716_20260827_14055201.pdf
21. वित्तीय समावेशन समिति. (2008). *वित्तीय समावेशन पर समिति का प्रतिवेदन* (अध्यक्ष: सी. रंगराजन). भारत सरकार.
22. सरमा, एम. (2008). *वित्तीय समावेशन का सूचकांक* (कार्य-पत्र संख्या 215). भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (इक्रियर).
23. सरमा, एम., एवं पाइस, जे. (2011). वित्तीय समावेशन और विकास. *जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट*, *23*(5), 613–628. https://doi.org/10.1002/jid.1698